...ी सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1989/श्रावण 25, 1911
No. 424] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1989/SRAVANA 25, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1989

सं. 170/89—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 757 (अ) :—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना सं. 202/88-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 मई, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 02 के सामने स्तंभ (3) में "तप्त वेल्लन तप्त कर्षण या तप्त बहिर्वेधन" शब्दों के स्थान पर, "तप्त वेल्लन तप्त कर्षण या तप्त बहिर्वेधन किंतु इसके अन्तर्गत वे शलाकाएं भी हैं जो वेल्लन के पश्चात् मोड़ी गई है" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 345/15/89—टी आर्यू]
आर.के. महाजन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th August, 1989.

NOTIFICATION

NO. 170/89-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 757 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1 of section 5-A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), th Central Government, being satisfied that it is necessary in the public intere so to do, hereby makes the following further amendment in the notification c the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue No. 202/88-Central Excises, dated the 20th May, 1988, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against Sl. No. 02, i column (3) for the words "not further worked than hot rolled, nc drawn or not extruded", the words "not further worked than hc rolled, hot drawn or hot extruded, but including those twisted aftc rolling" shall be substituted.

[F. No. 345/15/89-TRU
R. K. MAHAJAN, Under Sec

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989